

जून 2023

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

- **इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी**
 - BSNL हेतु तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी
 - सूचना सुरक्षा संबंधी कार्य पद्धतियों पर दशा-नरिदेश
- **कृषि**
 - उर्वरकों पर सबसिडी
 - गन्ने की कीमतों को मंजूरी
 - खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य
- **ऊर्जा**
 - वदियुत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023
 - संसाधन पर्याप्तता योजना
 - पंप भंडारण परियोजना
 - कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, 2023
- **वित्त**
 - समझौता नपिटान और तकनीकी राइट-ऑफ
 - लसिटिंग और प्रकटीकरण नियमों में संशोधन
 - वदिशी पोर्टफोलियो नविशक
- **वाणजिय**
 - नागरिक उपयोग वाले ड्रोन के लिये नरियात नीति
- **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**
 - सरोगेसी (वनियिमन) नियम, 2022
- **शिक्षा**
 - UGC (समवत वशिवदियालय संस्थान) वनियिम, 2023
 - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष का संचालन
- **उपभोक्ता मामले**
 - प्रत्यक्ष बकिरी संस्थाओं के लिये नियमों में संशोधन

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी

BSNL हेतु तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **भारत संचार निगम लिमिटेड** (Bharat Sanchar Nigam Limited- BSNL) के लिये 89,047 करोड़ रुपए के परवियय वाले पुनरुद्धार (रविाइवल) पैकेज को मंजूरी दी है ।
- यह पैकेज इक्वटी नविश के माध्यम से BSNL के लिये 4जी/5जी स्पेक्ट्रम के आवंटन का प्रावधान करता है ।
- इसका उद्देश्य BSNL को नमिनलखिति सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम बनाना है:
 - पूरे भारत में 4जी और **5जी** सेवाएँ ।
 - ग्रामीण और कवर नहीं किये गए गाँवों में 4जी कवरेज ।
 - फक्सिड वायरलेस एक्सेस ।
 - कैंप्टवि गैर-सार्वजनिक नेटवर्क (नजी उपयोग हेतु नेटवर्क) के लिये सेवाएँ/स्पेक्ट्रम ।
- BSNL की अधिकृत पूंजी 1,50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ रुपए की जाएगी ।
 - अधिकृत पूंजी से तात्पर्य कसिी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को जारी की जाने वाली शेयर पूंजी की अधिकतम राशासे है ।
- हाल के वर्षों में यह इस तरह का तीसरा पुनरुद्धार पैकेज है ।

- वर्ष 2019 में मंत्रिमंडल ने 69,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी थी। इसमें नमिनलखिति के लिये प्रावधान किया गया था:
- BSNL और MTNL का सैद्धांतिक वलिय।
- 4जी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिये पूंजी नविश।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना की लागत।
- इसके बाद वर्ष 2022 में 1.64 लाख करोड़ रुपए का एक और पैकेज आया।
 - दूसरे पैकेज में नमिनलखिति के लिये प्रावधान किया गया:
 - चालू और 4जी सेवाओं के लिये स्पेक्ट्रम का आवंटन।
 - इक्विटी में रूपांतरण द्वारा 33,404 करोड़ रुपए के वैधानिक बकाए का नपिटान।
 - पूंजीगत व्यय के लिये वित्तीय सहायता।

सूचना सुरक्षा संबंधी कार्य पद्धतियों पर दशा-नरिदेश

- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) ने सरकारी संस्थाओं के लिये [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000](#) के तहत "सूचना सुरक्षा संबंधी कार्य पद्धतियों पर दशा-नरिदेश" जारी किये।
 - अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा CERT-In को साइबर सुरक्षा घटनाओं के लिये राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। यह साइबर सुरक्षा मामलों से नपिटने और सुरक्षा संबंधी कार्य पद्धतियों, ऐसे मामलों की रोकथाम तथा रपिर्गि से संबंधित दशा-नरिदेश जारी करने के लिये ज़ामिंदार है।
 - ये दशा-नरिदेश सभी मंत्रालयों, वभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों पर लागू होंगे।

दशा-नरिदेशों की मुख्य वशिषताएँ इस प्रकार हैं:

- नीतगित उपाय:
 - संगठनों को एक [साइबर सुरक्षा नीति](#) बनानी चाहिये और आईटी सुरक्षा के लिये एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी को नामित करना चाहिये।
 - अधिकारी के पास एक समर्पित साइबर सुरक्षा टीम होनी चाहिये।
 - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना के लिये आंतरिक और बाह्य ऑडिट किये जाने चाहिये।
 - समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट और जोखिम मूल्यांकन किये जाना चाहिये।
 - साइबर सुरक्षा के मामलों को रोकने और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिये एक मामला प्रबंधन योजना बनाई जानी चाहिये।
 - संगठन को प्रत्येक साइबर सुरक्षा मामले का पता चलने के छह घंटे के भीतर CERT-In को इसकी सूचना देनी होगी।
- डेटा सुरक्षा:
 - संगठनों को डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कुछ उपाय करने चाहिये।
 - इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - व्यक्तिगत डेटा और संवेदनशील डेटा की पहचान करना और उसे एन्क्रिप्ट करना
 - डेटा उल्लंघनों का पता लगाने के लिये उपकरण तैनात करना।
 - डेटा उल्लंघनों की नगिरानी के लिये तीसरे पक्ष का मूल्यांकन करना।
 - डेटा बैकअप नीति लागू करना।
 - जानकारी तक तीसरे पक्ष की पहुँच प्रतबंधित होनी चाहिये और ऐसा केवल तीसरे पक्ष के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ही किये जाना चाहिये।
- नेटवर्क और बुनियादी ढाँचा:
 - इंटरनेट, अवशिषसनीय नेटवर्क और व्यवसायों द्वारा उपयोग किये जाने वाले नेटवर्क के बीच एक बफर ज़ोन बनाने के लिये फायरवॉल तैनात किये जाना चाहिये।
 - नेटवर्क मापदंडों को पोर्ट, प्रोटोकॉल और ट्रैफिक फिल्टर करने वाले एप्लीकेशंस तक नयितरति एक्सेस द्वारा प्रबंधित किये जाना चाहिये।
 - इसके अलावा नेटवर्क घुसपैठ और रोकथाम प्रणालियाँ तैनात की जानी चाहिये।
 - CERT-In और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पहचाने तथा साझा किये गए दुर्भावनापूर्ण इंटरनेट प्रोटोकॉल एवं डोमेन को मॉनीटर/ब्लॉक किये जाना चाहिये।

कृषि

उर्वरकों पर सब्सिडी

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कसिनो के लिये सब्सिडी वाले उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई योजनाओं को मंजूरी दी है।
- इनसे उर्वरकों के वविकपूरण उपयोग को प्रोत्साहित करने, कसिनो के लिये इनपुट लागत कम करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

योजनाओं की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- यूरिया सब्सिडी योजना:
 - कसिनो के उपयोग के लिये यूरिया और नाइट्रोजन जैसे उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है।

- कैबिनेट ने यूरिया सब्सिडी को वर्ष 2024-25 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके लिये तीन वर्षों (वर्ष 2022-23 से 2024-25) में 3.68 लाख करोड़ रुपए के खर्च की आवश्यकता होगी।
- किसानों को 242 रुपए प्रति बैग यानी 45 किलोग्राम (करो को छोड़कर) यूरिया मिलती रहेगी।
- केंद्र सरकार को उम्मीद है कि योजना जारी रहने से यूरिया का अधिकतम स्वदेशी उत्पादन होगा।
- केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने 2023-24 में यूरिया सब्सिडी पर 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया था, जिसमें से 24% आयात पर खर्च किया जाना है।
- इसके अलावा आठ नैनो-यूरिया संयंत्र वर्ष 2025-26 तक चालू हो जाएंगे।
 - संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 44 करोड़ बोटलों की होगी, जो 195 लाख मीटरिक टन पारंपरिक यूरिया के बराबर है। नैनो उर्वरकों (जैसे नैनो यूरिया) में उच्च पोषक तत्त्व उपयोग दक्षता होती है और किसानों के लिये लागत कम होती है।
 - देश में सल्फर-लेपित यूरिया (यूरिया गोलड) पेश की जाएगी।
 - इसे वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले नीम-लेपित यूरिया की तुलना में अधिक कफायती और कुशल माना जाता है।
 - इससे मटिटी में सल्फर की कमी भी दूर होने की उम्मीद है।
- **जैविक उर्वरकों को बढ़ावा:**
 - कैबिनेट ने जैविक उर्वरकों की मार्केटिंग के लिये एक योजना को भी मंजूरी दी।
 - इसमें फर्मेंटेड जैविक खाद और फॉस्फेट युक्त जैविक खाद शामिल हैं।
 - प्रति मीटरिक टन 1,500 रुपए की बाजार विकास सहायता प्रदान की जाएगी।
 - योजना पर कुल अपेक्षित परवियय 1,452 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
 - इस योजना से फसल अवशेषों के प्रबंधन, पराली जलाने और किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करने जैसी चुनौतियों के हल होने की उम्मीद है।

गन्ने की कीमतों को मंजूरी

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने चीनी सीज़न (अक्टूबर-सितंबर) 2023-24 में गन्ने के लिये उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price- FRP) 315 रुपए प्रति क्विटल को मंजूरी दी है।
- यह वर्ष 2022-23 चीनी सीज़न के FRP (305 रुपए प्रति क्विटल) में लगभग 3% की वृद्धि है।
 - FRP वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलें किसानों से गन्ना खरीद सकती हैं।
 - FRP, रकिवरी दर के आधार पर भिन्न होता है।
 - रकिवरी दर गन्ने से प्राप्त चीनी की मात्रा को दर्शाती है।
 - 10.25% की मूल रकिवरी दर के लिये 315 रुपए प्रति क्विटल FRP देय होगा।
 - 10.25% की सीमा से रकिवरी दर में प्रत्येक 0.1% वृद्धि/कमी के लिये 3.07 रुपए प्रति क्विटल के प्रीमियम/छूट का भुगतान किया जाएगा।
 - 9.5% से कम की रकिवरी दर पर किसानों को न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य 292 रुपए प्रति क्विटल मिलेगा।

खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने विपणन सीज़न वर्ष 2023-24 (अक्टूबर से सितंबर) में अनविर्य खरीफ फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
- धान का MSP 7% बढ़ाया गया है। मूँग, तिल और लंबे रेशे वाली कपास जैसी फसलों के MSP में सबसे अधिक वृद्धि (प्रत्येक में 10%) देखी गई है।
- MSP का तात्पर्य उस सुनिश्चित मूल्य से है जिस पर केंद्र सरकार द्वारा किसानों से फसल खरीदी जाती है।

खरीफ फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2023-24 (रुपए प्रति क्विटल में)

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23	न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023-24	% परिवर्तन
मूँग	7,755	8,558	10%
तिल	7,830	8,635	10%
कपास (लंबा रेशा)	6,380	7,020	10%
मूँगफली	5,850	6,377	9%
कपास (मध्यम रेशा)	6,080	6,620	9%
ज्वार- मालदांडी	2,990	3,225	8%
ज्वार- हाइब्रिड	2,970	3,180	7%
धान-सामान्य	2,040	2,183	7%
रागी	3,578	3,846	7%
मक्का	1,962	2,090	7%
सोयाबीन (पीली)	4,300	4,600	7%
बाजरा	2,350	2,500	6%
तुअर/अरहर	6,600	7,000	6%
सूरजमुखी के बीज	6,400	6,760	6%
रामतिल	7,287	7,734	6%

ऊर्जा

वदियुत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नयिम, 2023

- ऊर्जा मंत्रालय ने वदियुत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नयिम, 2023 जारी कयि है।
 - नयिम वदियुत उपभोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों को नरिदषिट करते है।
 - ये सेवा के मानकों, मीटरगि और बलियों के भुगतान जैसे वषियों से संबंधति है।
- संशोधति नयिम टाइम-ऑफ-डे टैरफि की शुरुआत को अनविर्य करते है, यानी ऐसे शुलक जो समय के आधार पर भनिन होते है।
- यह स्वीकृत भार (लोड) से अधिक मांग की स्थतिमें बलियों की गणना के लयि एक तंत्र भी प्रदान करता है।
- स्वीकृत भार वदियुत की वह अधिकतम मात्रा होती है जसि एक वतिरक उपभोक्ता को आपूर्तकरने के लयि सहमत हुआ है।
- टाइम-ऑफ-डे टैरफि अनविर्य:**
 - संशोधनों में कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर खुदरा उपभोक्ताओं के लयि टाइम-ऑफ-डे टैरफि लागू करना अनविर्य है।
 - टाइम-ऑफ-डे टैरफि का तात्पर्य यह है कि एक ही दनि के दौरान टैरफि अलग-अलग समय पर भनिन हो सकते है।
 - उदाहरण के लयि पीक ऑवरस के दौरान टैरफि अधिक हो सकते है और सौर घंटों के दौरान कम हो सकते है (जब सौर ऊर्जा का उपयोग कयि जा सकता है)।
- यह नमिनलखिति से प्रभावी होगा:
 - 10 कलिवोट तक की अधिकतम मांग वाले औद्योगिक और वाणजियिक उपभोक्ताओं के लयि 1 अप्रैल, 2024।
 - अन्य उपभोक्ताओं के लयि 1 अप्रैल, 2025। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं हेतु यह तुरंत लागू होगा।
- टाइम-ऑफ-डे टैरफि के लयि सीमा:**
 - टाइम-ऑफ-डे टैरफि ऊर्जा शुलक पर लागू होंगे।
 - ऊर्जा शुलक एक बलिंग चक्र में खपत की गई कुल ऊर्जा के आधार पर देय होता है।
 - दनि के समय का टैरफि इससे कम नहीं होना चाहयि:
 - औद्योगिक और वाणजियिक उपभोक्ताओं के लयि सामान्य टैरफि का 1.2 गुना।
 - अन्य उपभोक्ताओं के लयि 1.1 गुना।
 - सौर घंटों के दौरान टैरफि सामान्य टैरफि से कम-से-कम 20% कम होना चाहयि।
 - पीक आवरस सौर घंटों से अधिक लंबे नहीं होने चाहयि।
- बलिंग के उद्देश्य के लयि स्वीकृत भार का प्रबंध:**
 - 2020 के नयिमों में मीटर लगाना अनविर्य है।
 - संशोधनों में नरिदषिट कयि गया है कि स्मार्ट मीटर लगाने पर उस स्थतिमें कोई जुरमाना नहीं लगाया जाएगा, अगर वास्तव में दर्ज की गई अधिकतम मांग स्वीकृत भार से अधिक है।
 - बलिंग के लयि वास्तव में दर्ज की गई अधिकतम मांग को स्वीकृत भार माना जाएगा।
 - अधिक स्वीकृत भार पर अधिक टैरफि सलैब लग सकता है।
- स्वीकृत भार में संशोधन:**
 - अगर मासिक अधिकतम मांग एक वतितीय वर्ष में कम-से-कम तीन बार स्वीकृत भार से अधिक हो जाती है, तो वतिरण कंपनी द्वारा स्वीकृत भार को संशोधति कयि जाएगा।
 - नया स्वीकृत भार मासिक अधिकतम मांग में से सबसे कम होगा।
 - तदनुसार, अधिकतम भार कम होने पर वतिरण कंपनी स्वीकृत भार को संशोधति कर सकती है।

संसाधन पर्याप्तता योजना

- ऊर्जा मंत्रालय ने केंद्रीय वदियुत प्राधिकरण (Central Electricity Authority- CEA) के परामर्श से वदियुत क्षेत्र के लयि संसाधन पर्याप्तता योजना पर दशिा-नरिदेश जारी कयि।
- संसाधन पर्याप्तता योजना न्यूनतम संभव लागत पर 24x7 बजिली की मांग को पूरा करने के लयि इष्टतम क्षमता नरिधारति करती है।

दशिा-नरिदेशों की मुख्य वशिषताएँ नमिनलखिति हैं:

- संसाधन पर्याप्तता पर दीर्घकालीन राष्ट्रीय योजना:**
 - CEA एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय संसाधन पर्याप्तता योजना प्रकाशति करेगा।
 - यह योजना वशिषसनीय आपूर्त सुनिश्चित करने के लयि राष्ट्रीय स्तर पर इष्टतम क्षमता की आवश्यकता का नरिधारण करेगी।
 - यह राष्ट्रीय घरम मांग के लयि राज्यवार योगदान को नरिदषिट करेगी।
 - इसके अलावा योजना 10 वर्षों के लयि इष्टतम उत्पादन प्रदान करेगी।
 - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम-से-कम लागत पर राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लयि संसाधन उपलब्ध हों।
 - यह योजना प्रतविरष अपडेट की जाएगी।
- डसिकॉम्स द्वारा संसाधन पर्याप्तता योजना:**

- राष्ट्रीय स्तर पर बजिली की चरम मांग में हसिसेदारी के आधार पर क्षमताओं की योजना बनानी होगी।
- प्रत्येक वतिरण लाइसेंसधारी (डसिक्ॉम) को राष्ट्रीय चरम मांग या उससे अधिक की अपनी हसिसेदारी को पूरा करने के लिये क्षमताओं का अनुबंध करने की आवश्यकता होगी।
- इस उद्देश्य के लिये केवल दीर्घकालिक, मध्यम अवधि और अल्पकालिक अनुबंध वाले संसाधनों पर ही वचिार कयिा जाएगा।
- पावर एक्सचेंजों के माध्यम से खरीदी गई बजिली को संसाधन पर्याप्तता योजना के तहत नहीं माना जाएगा।
- लंबी अवधि के अनुबंधों की हसिसेदारी 75-80% और मध्यम अवधि के अनुबंधों की हसिसेदारी 10-20% होगी।
- अनुशंसति हसिसेदारी को राज्य वदियुत नयामक आयोगों द्वारा बदला जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त प्रत्येक डसिक्ॉम 10 वर्ष की अवधि के लिये संसाधन पर्याप्तता योजना अपनाएगा।
- इस योजना की जाँच CEA द्वारा की जाएगी और इसे राज्य वदियुत नयामक आयोग द्वारा अनुमोदति कयिा जाना चाहयि।
- **संसाधन पर्याप्तता पर अलपावधि की योजनाएँ:**
 - नेशनल लोड डसिपैच सेंटर (NLDC) एक वार्षिक अल्पकालिक राष्ट्रीय संसाधन पर्याप्तता योजना प्रकाशति करेगा।
 - यह मांग पूर्वानुमान, नयिजति रख-रखाव कार्यक्रम, स्टेशन-वार ऐतहिसकि आउटज दरें और उत्पादकों की डीकमीशनगि जैसे मानदंड प्रदान करेगा।
 - राज्य लोड डसिपैच केंद्र NLDC द्वारा वकिसति राष्ट्रीय स्तर की योजना के आधार पर अल्पकालिक वतिरण संसाधन पर्याप्तता के लिये एक वार्षिक योजना बनाएंगे।

पंप भंडारण परयिोजना

- केंद्रीय वदियुत प्राधिकरण (CEA) ने पंप भंडारण परयिोजनाओं की वसितृत परयिोजना रिपोर्ट (DPR) पर सहमति के लिये प्रक्रयिा को संशोधति कयिा है।
- इसके लिये CEA, केंद्रीय जल आयोग और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण सहति कई प्राधिकरणों से सहमति आवश्यक होती है।
- अधशेष वदियुत उपलब्ध होने पर पंप स्टोरेज/भंडारण परयिोजनाएँ जलाशय में पानी को पंप करती हैं।
- वदियुत की कमी होने पर इस संग्रहीत पानी का उपयोग वदियुत पैदा करने के लिये कयिा जाता है। मुख्य परिवर्तनों में नमिनलखति शामिल हैं:
 - **मंजूरी के लिये सगिल वडिो:**
 - CEA ने पंप स्टोरेज परयिोजना हेतु मंजूरी प्राप्त करने के लिये सगिल वडिो बनाई है।
 - केंद्रीय जल आयोग और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण परयिोजनाओं के संबंधति पहलुओं को देखने और मंजूरी में तेज़ी लाने के लिये अधिकारयिों को नामति करेंगे।
 - **सहमति के लिये कम समय-सीमा:**
 - उन पंप स्टोरेज परयिोजनाओं के DPR पर सहमति प्राप्त करने का समय 90 दिन से घटाकर 50 दिन कर दयिा गया है:
 - जनिका टैरफि प्रतसिपर्द्धी बोली के माध्यम से नरिधारति कयिा गया है।
 - जनिहें अकषय ऊर्जा उत्पादन परयिोजनाओं के साथ कर दयिा गया है।
 - जो कंपटवि उद्देश्यों के लिये वकिसति की जा रही हैं।
 - अन्य पंप स्टोरेज परयिोजनाओं के लिये समय सीमा 125 दिन से घटाकर 90 दिन कर दी गई है।
 - **पर्यावरणीय मंजूरी:**
 - मौजूदा जलाशयों पर पंप स्टोरेज परयिोजनाओं के लिये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता नहीं होगी।
 - पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से तात्पर्य पर्यावरण पर प्रस्तावति परयिोजना/गतविधिके प्रभाव के अनुमान का आकलन करने से है।

कार्बन क्रेडिटि ट्रेडगि योजना, 2023

- ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनयिम, 2001 के तहत कार्बन क्रेडिटि ट्रेडगि योजना, 2023 को अधसिचति कयिा है।
 - कार्बन क्रेडिटि का तात्पर्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिये एक नरिदषिटि मूल्य से है।
- **कार्बन क्रेडिटि जारी करना:**
 - ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के सुझावों के आधार पर ट्रेडगि योजना का अनुपालन करने के लिये बाध्य संस्थाओं को अधसिचति करेगा।
 - ऊर्जा मंत्रालय के सुझाव पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बाध्य संस्थाओं के लिये उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य को अधसिचति करेगा।
 - उत्सर्जन तीव्रता सकल घरेलू उत्पाद की प्रत्येक इकाई के लिये उत्सर्जति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की कुल मात्रा है।
 - यदि बाध्य संस्थाएँ उन्हें सौंपे गए लक्ष्य से आगे बढ़ जाती हैं तो वे कार्बन क्रेडिटि प्रमाणपत्र अर्जति करेंगी।
 - प्रमाणपत्र BEE द्वारा जारी कयिा जाएगा।
 - अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ बाध्य संस्थाओं को कार्बन क्रेडिटि प्रमाणपत्र खरीदकर कमी को पूरा करना होगा।
 - गैर-बाध्यकारी संस्थाएँ भी योजना के तहत पंजीकरण कर सकती हैं और स्वेच्छा से अनुपालन कर सकती हैं।
- **कार्बन क्रेडिटि का व्यापार:**
 - इस उद्देश्य के लिये केंद्रीय वदियुत रेगुलेटरी आयोग (CERC) के साथ पंजीकृत बजिली एक्सचेंजों पर कार्बन क्रेडिटि प्रमाणपत्रों का कारोबार कयिा जाएगा।
 - CERC कार्बन क्रेडिटि ट्रेडगि गतिविधियिों को भी वनियमति करेगा।
 - बाध्य या गैर-बाध्यकारी संस्थाओं का पंजीकरण करेगा।
 - लेन-देन का रकिॉर्ड बनाएगा तथा उन्हें पावर एक्सचेंजों और BEE के साथ साझा करेगा।

■ प्रशासनिक तंत्र:

- केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन करेगी जो समग्र कार्बन बाजार के प्रशासन और नगिरानी के लिये ज़िम्मेदार होगी।
- समिति की अध्यक्षता बजिली सचिव करेंगे और इसमें पर्यावरण एवं इस्पात सहित कई मंत्रालयों तथा BEE और GCIL सहित सरकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व होगा।
- समिति के प्रमुख कार्यों में BEE को कुछ मामलों पर सुझाव देना शामिल है:
 - कार्बन बाजार के लिये प्रक्रियाओं, नियमों और वनियमों का निर्माण।
 - लक्ष्यों का निर्धारण और कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करना।
 - BEE इस योजना का संचालन करेगा।
 - इसके कार्यों में नमिनलखिति शामिल है:
 - उत्सर्जन में कमी के लिये कषेत्रों और संभावनाओं की पहचान करना।
 - कटौती के लिये ट्राजेक्टरी और लक्ष्य तय करना।
 - कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करना।

वित्त

समझौता नपिटान और तकनीकी राइट-ऑफ

- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने समझौता नपिटान और तकनीकी राइट-ऑफ के लिये एक रूपरेखा जारी की है।
- समझौता नपिटान से तात्पर्य एक उधारकर्ता के खिलाफ किसी वनियमिति इकाई (जैसे बैंक) के दावों को पूरी तरह से नकद में नपिटाने की व्यवस्था से है।
- इसमें उधारकर्ता के बकाए का एक नशिचति प्रतशित राइट-ऑफ हो सकता है। समझौता नपिटान को ऋण पुनर्गठन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
 - तकनीकी राइट-ऑफ में उधारकर्ता के खिलाफ दावों में छूट के बनिा वनियमिति इकाई के खातों से गैर-नशिपादति परसिंपततयिों (ऋण) को राइट-ऑफ करना शामिल है।
- प्रमुख वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल है:
 - नपिटान के लिये नीतः
 - समझौता नपिटान और तकनीकी राइट-ऑफ हेतु वनियमिति संस्थाओं के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदति नीतःहोनी चाहयि।
 - नीतःमें ऐसे नपिटानों के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रयिा का प्रावधान होना चाहयि।
 - समझौता नपिटान के मामले में नीतःको नपिटान राशतिय करते समय, राइट-ऑफ का स्वीकृत स्तर का प्रावधान करना चाहयि।
 - कूलगि पीरयिडः
 - समझौता नपिटान में शामिल उधारकर्ताओं के मामले में वनियमिति संस्थाओं के नए ऋण प्रदान करने से पहले एक कूलगि पीरयिड होना चाहयि।
 - कृषिऋण के अलावा अन्य ऋणों हेतु यह कूलगि पीरयिड कम-से-कम 12 महीने का होना चाहयि।
 - तकनीकी राइट-ऑफ के लिये कूलगि पीरयिड वनियमिति संस्थाओं की बोर्ड-अनुमोदति नीतयिों के अनुसार होगा।
 - धोखाधडी वाले खातेः
 - वनियमिति संस्थाएँ धोखाधडी या जान-बूझकर चूक करने वालों के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में समझौता नपिटान या तकनीकी राइट-ऑफ कर सकती है।
 - इससे देनदारों के खिलाफ चल रही आपराधकि कारयवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

लसि्टगि और प्रकटीकरण नयिमों में संशोधन

- भारतीय प्रतभितःऔर वनियमि बोर्ड (SEBI) ने सेबी (सूचीबद्धता दायतिव और प्रकटीकरण आवशयकताएँ) (दूसरा संशोधन) वनियमि, 2023 को अधसिचति कयिा है।
- यह सेबी (सूचीबद्धता दायतिव और प्रकटीकरण आवशयकताएँ) वनियमि, 2015 में संशोधन करता है।
 - वनियमि सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा कुछ जानकारयिों के प्रकटीकरण के लिये रूपरेखा प्रदान करता है।
- संशोधनों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल है:
- मुख्य रकितयिों को भरना:
 - प्रमुख प्रबंधन कर्मयिों (जैसे मुख्य कारयकारी अधकिारी, प्रबंध नदिशक और पूरणकालकि नदिशक) के कारयालय में कोई भी रकितःतीन महीने के भीतर सूचीबद्ध संस्था द्वारा भरी जानी चाहयि।
- भौतकि घटनाओं का खुलासा: संशोधन सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा भौतकि घटनाओं के प्रकटीकरण के लिये सीमाएँ नरिदशि्ट करता है। सूचीबद्ध संस्थाओं को उन घटनाओं या सूचनाओं का खुलासा करना होगा जनिका मूलय या मूलय के संदर्भ में अपेक्षति प्रभाव नमिनलखिति में नमिनतम से अधिक हो जाता है:
 - टर्नओवर का 2%।
 - नविल मूलय का 2%।
 - पछिले तीन समेकति वतितीय वविरणों के अनुसार कर के बाद लाभ या हानकि औसत का 5%।
- इसके अलावा त्रैमासकि अनुपालन रिपोर्ट में साइबर सुरक्षा के मामलों और डेटा उल्लंघनों के वविरण का उल्लेख कयिा जाना चाहयि।
- भौतकि घटनाओं के प्रकटीकरण हेतु समय-सीमा:
 - 2015 के वनियमिों में प्रावधान है कि सूचीबद्ध कंपनयिों को 24 घंटों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को कुछ घटनाओं का खुलासा करना होगा।
 - संशोधति नयिमों में प्रावधान है कि स्टॉक एक्सचेंजों को सभी महत्त्वपूर्ण जानकारी के बारे में सूचति कयिा जाना चाहयि:

- घटना घटति होने के 12 घंटे के भीतर, यदायह कंपनी के भीतर घटति हो ।
- अन्य मामलों में घटना घटति होने के 24 घंटे के भीतर । बोर्ड बैठकों के नरिण्यों से मलिनै वाली भौतिक जानकारी के बारे में बैठक के समापन के 30 मनिट के भीतर सूचति कयिा जाना चाहयिे ।
- **रपिर्ट की गई जानकारी का खुलासा:**
 - 2015 के रेगुलेशंस में प्रावधान है कऱ सूचीबद्ध कंपनयिाँ स्टॉक एक्सचेंजों को रपिर्ट की गई कऱसी भी घटना या जानकारी की पुष्टऱया खंडन कर सकती हैं ।
 - 1 अक्टूबर, 2023 से शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं को 24 घंटों के भीतर मुख्यधारा मीडयिा में कऱसी भी महत्त्वपूर्ण घटना या जानकारी की पुष्टऱया खंडन करना होगा ।
 - 1 अप्रैल, 2024 से यह शीर्ष 250 सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगा ।
 - ऐसी संस्थाओं का नरिधारण उनके बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर कयिा जाएगा ।
 - मुख्यधारा मीडयिा का तात्पर्य समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों से है ।

वदिशी पोर्टफोलयिो नविशक

- भारतीय प्रतभूतऱ और वनिमिय बोर्ड (सेबी) ने वदिशी पोर्टफोलयिो नविशकों (FPI) के लयिे कुछ अतरिकित् खुलासे करना अनविर्य कर दयिा है ।
- ये खुलासे उन FPI को करने होंगे:
 - जनिके भारतीय इक्वटिी नविश का 50% से अधिक एक ही कॉरपोरेट समूह में है
 - जो व्यक्तगित रूप से या अपने नविशक समूह के माध्यम से भारतीय बाज़ारों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक इक्वटिी नविश करते हैं ।
- अतरिकित् खुलासों में स्वामतिव, नरियंत्रण और आर्थिक हति का वविरण शामिल है ।
- प्रकटीकरण से छूट प्राप्त संस्थाओं में सरकार और संबंघति नविशक, पेंशन फंड और कॉरपोरेट संस्थाएँ शामिल हैं जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं ।

वाणज्य

नागरकि उपयोग वाले ड्रोन के लयिे नरियात नीतऱि

- वदिश व्यापार महानदिशालय ने नागरकि उपयोग के लयिे ड्रोन/मानवरहति हवाई वाहनों (Unmanned Aerial Vehicles- UAV) के नरियात की नीतऱि को उदार बना दयिा है ।
 - पहले सभी ड्रोन/UAV के नरियात को वशिष रसायन जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (Special Chemicals Organisms Materials, Equipment and Technology- SCOMET) सूची के अनुसार वनियिमति कयिा जाता था ।
- यह उन वस्तुओं पर लागू होता है जनिका नागरकि और सैन्य दोनों तरह से उपयोग होता है ।
- सूची के अंतरगत वस्तुओं के नरियात के लयिे प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, जब तक कऱ उसके नरियात पर प्रतबिंध है या कुछ शर्तों के अधीन प्राधिकरण के बनिा उसकी अनुमति है ।
- उदारीकृत नीतऱिके साथ ड्रोन के नरियात के लयिे सामान्य ऑथराइज़ेशन के तहत 25 कलिोग्राम तक के पेलोड के साथ 25 कमी. तक की रेंज वाले ड्रोन/UAV का नरियात कयिा जा सकता है । इन्हें भी कुछ नरिदषिट श्रेणयिों के अंतरगत नहीं आना चाहयिे ।
- यह एक बार के सामान्य लाइसेंस के साथ कयिा जा सकता है जो तीन वर्ष के लयिे वैध है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

सरोगेसी (वनियिमन) नयिम, 2022

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सरोगेसी (वनियिमन) नयिम, 2022 में संशोधन को अधसूचति कयिा ।
 - ये नयिम सरोगेसी (वनियिमन) अधनियिम, 2021 के तहत जारी कयिे गए हैं ।
- यह अधनियिम सरोगेसी को वनियिमति करता है । सरोगेसी को एक ऐसी पद्धतिके रूप में परभाषति कयिा गया है जसिमें एक महिला इच्छुक कपल या महिला के लयिे बच्चे को जन्म देती है और जन्म के बाद बच्चे को उन्हें सौंपने के लयिे सहमत होती है ।
- अधनियिम में प्रावधान है कऱ सरोगेसी केवल उन कपल्स के लयिे उपलब्ध होगी जनिकी कोई चकित्सीय स्थति है जसिके कारण वे माता-पति बनने हेतु सरोगेसी पर नरिभर हैं ।
- इसमें यह भी प्रावधान है कऱ भारतीय मूल के कपल्स या सरोगेसी का लाभ उठाने की इच्छुक महिला को सरोगेसी का पात्र होने के लयिे राष्ट्रीय अससिटेड रीप्रोडकटवि टेक्नोलॉजी बोर्ड की सफिरशि हासलि करनी होगी ।
- संबंघति अधनियिम और मौजूदा नयिम दोनों ही "भारतीय मूल के कपल" को परभाषति नहीं करते हैं ।
- वर्ष 2023 का संशोधन भारतीय मूल के कपल को ऐसे कपल के रूप में परभाषति करता है, जसिमें पति और पत्नी, दोनों भारत के वदिशी नागरकि कार्डधारक हैं ।

शकषिा

UGC (समवत वशि्वदयिालय संस्थान) वनियिम, 2023

- वशि्वदयिालय अनुदान आयोग (UGC) ने UGC (समवत वशि्वदयिालय संस्थान) वनियिम, 2023 जारी कयिे हैं ।

- ये वनियिम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत शैक्षणिक संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय के रूप में स्थापति करने का प्रावधान करते हैं।
- वर्ष 2023 के वनियिम UGC (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) वनियिम, 2019 के स्थान लेते हैं।

वर्ष 2023 के वनियिमों की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

■ पात्रता मानदंड:

- एक विश्वविद्यालय की मान्यता के लिये संस्थान को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - कम-से-कम पाँच विभाग।
 - राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) से मान्यता।
 - 1:20 के बराबर या उससे कम विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात।
 - कम-से-कम एक विषय में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में टॉप 50 रैंक।
- ये मानदंड 'वशिष्ट श्रेणी' संस्थानों के रूप में वर्गीकृत कुछ संस्थानों पर लागू नहीं होंगे।
 - ये ऐसे संस्थान हैं जो अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसे रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करना या भारतीय सांस्कृतिक वरिसत को संरक्षित करना।
- 2023 के वनियिम में क्लस्टर संस्थानों को एक विश्वविद्यालय माना गया है।
 - ये संस्थानों के ऐसे समूह होते हैं जिनमें कम-से-कम पाँच विभाग होते हैं।

■ प्रशासनिक प्रणालियाँ:

- विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों को एक शीर्ष निकाय, कार्यकारी परिषद द्वारा शासित किया जाना चाहिये। इसमें नमिनलखिति शामिल होंगे:
 - कुलपति (वीसी)
 - संकाय के दो डीन
 - डीन के अलावा दो शिक्षक
 - प्रायोजक निकाय के अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति
 - यूजीसी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि
- परिषद की शक्तियों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - शैक्षणिक पदों का निर्माण और नियुक्ति करना
 - नियम बनाना
 - कर्मचारियों पर नियमों को लागू करना।
- संस्थान में एक अकादमिक परिषद भी होगी जो प्रवेश और परीक्षाओं जैसे शैक्षणिक मामलों की निगरानी करेगी एवं नियम बनाएगी।
- यह विभागों और शिक्षण पदों के निर्माण तथा समाप्ति के संबंध में सुझाव भी दे सकती है।
- इसकी अन्य शक्तियों में डिग्री या डिप्लोमा के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करना शामिल है। इसके सदस्यों में वीसी, संकायों के डीन, 20 शिक्षक और छह विशेषज्ञ शामिल हैं।

■ प्रवेश:

- प्रवेश परीक्षा संस्थान के प्रॉस्पेक्टस में निर्दिष्ट तरीके पर आधारित होनी चाहिये।
- प्रवेश परीक्षा संस्थान या सरकारी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की जानी चाहिये।
- संस्थानों में भारत के संविधान और केंद्रीय कानूनों के अनुसार आरक्षण नीतियाँ होनी चाहिये।

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष का संचालन

- शिक्षा मंत्रालय ने माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (MUSK) की स्थापना को अधिसूचित किया।
- MUSK आयकर पर 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के माध्यम से एकत्रित धन प्राप्त करने के लिये एक फंड है। 4% उपकर में से 1% MUSK के लिये रखा जाएगा।
- इन फंडों का उपयोग माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिये किया जाएगा।
- यह एक गैर-व्यपगत आरक्षण नर्धि है।
- मंत्रालय ने लेखांकन प्रक्रियाएँ और खाता प्रवृष्टियाँ करने का तरीका स्थापित किया है।
 - उदाहरण के लिये किसी वित्तीय वर्ष में मस्क को हस्तांतरण में कमी को अगले वर्ष के लिये अनुदान की वसित्त मांगों में पूरा किया जाना चाहिये।
- MUSK को आवंटित धनराशि को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के बीच क्रमशः 40:60 के अनुपात में विभाजित किया जाता है।
- मंत्रालय ने ऐसी योजनाएँ और निकाय भी निर्दिष्ट किये हैं जिनके लिये MUSK फंड का उपयोग किया जाना है।
- इनमें समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति योजना शामिल है।

उपभोक्ता मामले

प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं के लिये नियमों में संशोधन

- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 में संशोधन अधिसूचित किया है।

- नयिमों को उपभोक्ता संरक्षण अधनियिम, 2019 के तहत अधसूचिति कयिा गया है ।
- अधनियिम प्रत्यक्ष बकिरी को प्रत्यक्ष वकिरेताओं के माध्यम से की जाने वाली वस्तुओं की बकिरी/वपिणन के रूप में परभाषति करता है ।
- प्रत्यक्ष बकिरी कसिी स्थायी खुदरा के माध्यम से नहीं की जाती और इसमें परिमडि योजनारूँ भी शामलि नहीं हैं ।
- नयिम प्रत्यक्ष बकिरी संस्थाओं के दायतिवों और कर्तव्यों को नरिदषिट करते हैं ।
- संशोधनों में प्रत्यक्ष बकिरी संस्था की परभाषा को सीमति कयिा गया है ।
- प्रत्यक्ष बकिरी संस्था को अब एक ऐसी संस्था के रूप में परभाषति कयिा गया है जो संस्था द्वारा गठति प्रत्यक्ष वकिरेताओं के नेटवरक के माध्यम से सामान बेचती है ।
- प्रत्यक्ष वकिरेताओं के इस नेटवरक को प्रतफल प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के लयि सामान बेचना चाहयि ।
- इससे पहले प्रत्यक्ष बकिरी संस्था को ऐसी संस्था के रूप में परभाषति कयिा गया था जो प्रत्यक्ष वकिरेताओं के माध्यम से बकिरी करती है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prs-june-2023>

